संख्या-109/2023/98रासनि/23-1-23/005-16आरएसएन/2022टीसी-2

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 16 जनवरी, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बस्ती मण्डल के विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2669/CE-HQ-1/RSN 5054/BAS/2022-23, दिनांक 03.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार बस्ती मण्डल के **विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,21,80,000/- (रूपये पांच करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	सोनबरसा भवानीगंज मार्ग से चुलईडीह होते हुये पुरैना पूरबडीह सं0मार्ग।	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	75.12	20.06	9.10	45.96	45.96
2	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	एस0एच0-26 भंडरिया से पिकौरा सम्पर्क मार्ग।	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	94.89	30.34	3.10	61.45	61.45
3	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	मरवटिया से बनोहिया होते हुये नगवा तक सम्पर्क मार्ग।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	206.92	137.77	1.80	67.35	67.35
4	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	चरथरी लहरी मंदिर से मरवटिया सड़क तक मार्ग।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	173.52	158.82	8.32	6.38	6.38
5	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	नरही चरथरी से मसिना तक सम्पर्क मार्ग।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	110.58	83.82	3.73	23.03	23.03
6	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	विशुनपुर पचपेडवा सेखुई से सोनवलिया पूरब टोला सम्पर्क मार्ग।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	97.2	24.86	15.63	56.71	56.71
7	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	धरमपुरवा से महुआ प्राथमिक विद्यालय होते हुये बूढापार सम्पर्क मार्ग।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	254.57	197.29	1.55	55.73	55.73
8	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	विथरिया मार्ग से विथरिया पंथलालडीह सम्पर्क मार्ग।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	58.54	16.1	0.28	42.16	42.16
9	नि.ख.-1 बस्ती	उखड़ा भैसहिया शंकरपुर मार्ग के जनतागंज से मैलानी उर्फ बेलवा, जू0वि0, निषादडीह बेलवा मन्दिर होते हुए जोगिया बेलवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	151/2019/398 रासनि/23-1-19-19 रासनि/19-दिनांक-19-12-2019	152.5	144.88	1.37	6.25	6.25
10	प्रा.ख. बस्ती	जगदीशपुर से महूघाट बंधा मार्ग	165 रासनि /23-1-19-149 रासनि/19 दिनांक 10.3.2019-दिनांक-10-03-2019	333.65	316.97	0.63	16.05	16.05
11	प्रा.ख. बस्ती	राय बसेवा सम्पर्क मार्ग से अटल आवासीय विद्यालय तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	363/2021/1443 रासनि/23-1-21-111 रासनि/20-दिनांक-22-12-2021	281.47	28.14	0.00	253.33	140.73
							कुल योग-	**521.80**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 5,21,80,000/- (रूपये पांच करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव

संख्या-109/2023/98रासनि(1)/23-1-23/005-16आरएसएन/2022टीसी-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।